भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3942
उत्तर देने की तारीख 18 अगस्त, 2025
27 श्रावण, 1947 (शक)

मानसिक स्वास्थ्य और युवा कल्याण

3942. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय युवा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता नीति स्थापित करने की योजना बना रही है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों, ग्रामीण, दिव्यांग और एलजीबीटीक्यूआईए युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य हेतु आवश्यकता संबंधी आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार अभिजात वर्ग और जमीनी स्तर के खिलाड़ियों का आवधिक संपूर्ण स्वास्थ्य संपरीक्षा कर रही है, जिसमें बर्नआउट, उत्पीड़न या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने की व्यवस्था है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय युवा नेतृत्व और फिटनेस कार्यक्रमों में भावनात्मक लचीलापन, शारीरिक छवि और परेशान करने की घटनाओं की रोकथाम मॉड्यूल को शामिल करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ सहयोग कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) वर्तमान में, कोई स्वतंत्र राष्ट्रीय युवा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता नीति विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) क्रियान्वित कर रही है, जिसमें जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) भी शामिल है। यह कार्यक्रम 767 जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में बाह्य रोगी सेवाएँ, परामर्श, मनो-सामाजिक मध्यवर्तन, निरंतर

देखभाल, आवश्यक दवाएँ, आउटरीच और एम्बुलेंस सेवाएँ जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्वीकृत किया गया है।

(ख) विशेष रूप से जनजातीय, ग्रामीण, दिव्यांग और एलजीबीटीक्यूआईए युवाओं को ध्यान में रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) मंत्रालय, शीर्ष और जमीनी स्तर के एथलीटों का आवधिक स्वास्थ्य ऑडिट नहीं कराता है । तथापि, राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) को सहायता स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों/प्रतियोगिताओं आदि के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के लिए मनोवैज्ञानिक जैसे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों सहित वैज्ञानिक सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रावधान है।

(घ) और (ङ) : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1.77 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और पदार्थ उपयोग विकारों (एमएनएस) पर विभिन्न संवर्गों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई है। सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं की सुलभता को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ किया है। दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने 53 टेली-मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं । टेली-मानस सेवाएँ राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं और इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 लाख से ज़्यादा कॉल का समाधान किया जा चुका है। सरकार ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 को टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है और मौजूदा ऑडियो कॉलिंग सुविधा के अलावा उसमें वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है।

*****